बिहार विधायिका सभा का वादवृत्त।

सोमवार, तिथि २८ नवम्बर, १९४९

भारत शासन विधान, १९३५ के प्रावधान के अनुसार एकत्र विधायिका सभा का कार्य विवरण।

सभा की बैठक पटने के सभा वेश्म में सोमवार, तिथि २८ नवम्बर, १९४९, को ११–३० बजे पूर्वाह्न में, माननीय प्रमुख श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुई।

भारत के संविधान के प्रति विनिहित निष्ठा का शपथ-ग्रहण।

माननीय प्रमुख : उपस्थित सभासदों में जिन्होंने भारत के संविधान के प्रति विनिहित निष्ठा की शपथ नहीं ली है वे शपथ लें।

निम्न सभासदों ने शपथ ली:—

(१) श्री अब्दुल हमीद मियां—(पलामू मुलसमान ग्रामीण)।

(२) श्री विश्वेश्वर प्रताप नारायण सिंह—(तिरहुत डिवीजन जमींदार)।

प्रमुख के आरम्भिक अभिभाषण।

सदस्यों का स्वागत।

माननीय प्रमुख: द्वितीय बिहार विधायिका सभा के इस सातवें अधिवेशन के अवसर पर मैं आप सबका और विशेषकर उन नये सदस्यों का, जिन्होंने आज सर्व प्रथम इस सभा में अपना स्थान ग्रहण किया है, हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि भारत सरकार ने इस सभा के एक प्रमुख सदस्य श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह को नेपाल में अपना राजदूत नियुक्त किया है। इस सभा के वे एक प्रभावशाली वक्ता थे और जब कभी वे बोलने के लिए खड़े होते थे उनको इस सभा के सदस्य बड़े ध्यान से सुना करते थे। इस सभा के वाद-विवाद में उनका योगदान बड़े महत्व का होता था। उनकी इस नियुक्ति पर मैं आपकी ओर से तथा अपनी ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं किन्तु इस बात का मुझे अवश्य खेद रहेगा कि यह सभा अब उनकी सदस्यता से लाभ नहीं उठा सकेगी। यह भी प्रसन्नता और संतोष की बात है कि इस सभा के दूसरे प्रमुख सदस्य श्री शार्ङ्गधर सिंह पटना विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्त हुए हैं। आप एक प्रतिभासंपन्न व्यक्ति हैं और यह नियुक्ति उनकी योग्यता के अनुरूप ही हुई है और इसलिए वे भी हमारी बधाई के पात्र हैं।

श्री गुरु सहाय लाल और श्री टी० एस० मैक्फरसन के निधन पर शोक प्रकाश।

माननीय प्रमुख : किन्तु आज मुझे बहुत दुःख के साथ माननीय जस्टिस सर टामस स्टुअर्ट मैकफरसन के निधन की सूचना आपको देनी पड़ती है। आप इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य थे और कुछ वर्षों तक बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य भी रहे। आप कुछ समय तक हाईकोर्ट के जज थे और फिर पटना विश्वविद्यालय के उप-कुलपति भी हुए। आपका जीवन बड़ा सफल रहा और आपकी मृत्यु से हमलोगों को बहुत दुःख है।

श्री गुरु सहाय लाल के देहावसान से इस प्रान्त ने एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता तथा एक कर्मठ व्यक्ति खो दिया है। वे एक लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति थे और उन्होंने प्रान्त की बड़ी सेवा की। १९२४ में ही वे बिहार और उड़ीसा लेजिसलेटिव कौंसिल के

श्री रामेश्वर सिंह नामक स्टौकिस्ट।

४८। श्री बृजलाल दोकानियां: क्या माननीय मंत्री, विकास विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि श्री रामेश्वर सिंह नाम का कोई व्यक्ति लोहे का स्टौकिस्ट है;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो जब से वे स्टौकिस्ट बनाये गय हैं तब से आज तक उनको कितना लोहा मिला है;

(ग) जो लोहा मिला है उस लोहे को सरकार ने अपनी परमिट से कितना विकवाया है और उस स्टौकिस्ट ने कितना लोहा चोरबाजारी में बेचा है, क्या सरकार उस स्टौकिस्ट का हिसाब जांच करके टेबुल पर रखेगी?

माननीय डाक्टर सैयद महमूद: (क) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आरा क्रेडिट ऐग्रीकोल विभाग की शिकायत।

४९। श्री जगत नारायण लाल: क्या सरकार का ध्यान पटना के एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र के १० अगस्त, १९४८ के अंक में प्रकाशित आरा के क्रेडिट ऐग्रीकोल डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में शिकायतों की ओर गया है; यदि गया है तो उसने उन शिकायतों की कोई जांच की या नहीं, यदि जांच की तो उसका क्या फल था और उन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की गयी?

माननीय डाक्टर सैयद महमूद: प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर 'हां' में है। ११ अगस्त, १९४८ को क्रेडिट ऐग्रीकोल के इंसपेक्टर द्वारा जांच की गई और २६ अगस्त, १९४८ को क्रेडिट ऐग्रीकोल के इनचार्ज अफसर द्वारा उसकी जांच से कुछ गड़बड़ी का पता चला, लेकिन चोरबाजारी या अन्य अनाचार का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला। डिपो मैनेजर और डिपो सुपरवाइजर दोनों कार्य मुक्त कर सदर मुकाम में लाये गये।

आरा संगीत सम्मेलन और इन्टरटेनमेंट टैक्स।

५०। सरदार हरिहर सिंह: क्या माननीय अर्थ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह बात सही है कि गत ११, १२ और १३ फरवरी को आरे में संगीत सम्मेलन हुआ था जिसका उद्घाटन महामहिम शासक ने किया था;

(ख) सरकार का आदेश उस सम्मेलन के इन्टरटेनमेंट टैक्स की वसूली के बारे में क्या हुआ था;

(ग) क्या यह बात सही है कि १२वीं फरवरी की रात में जिस समय सम्मेलन का अधिवेशन हो रहा था आरा के इन्टरटेनमेंट टैक्स इन्सपेक्टर ने सभा के दरवाजे पर आकर सम्मेलन के स्वयंसेवकों से हिसाब दिखाने को कहा और जब उन लोगों ने कहा कि इस समय सभी लोग सम्मेलन में बैठे हैं मैं कुछ समय के बाद दिखला दूंगा, तो उसने सम्मेलन भंग करने की धमकी दी;